

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक-

/जि0रा0, दिनांक-

/02/2013

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
कोचाधामन।

विषय :-


श्री सत्यमूर्ति रजक राजस्व कर्मचारी, अंचल पोठिया के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों पर स्पष्ट मन्तव्य उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री सत्यमूर्ति रजक राजस्व कर्मचारी, पोठिया अंचल द्वारा कोचाधामन अंचल में अपने पदस्थापन अवधि के दौरान इंगित अवधि में गलत तरीके से अनुपस्थित दर्शाते हुए वेतन की कटौती किए जाने के संबंध में आवेदन-पत्र समर्पित किया गया था, जिसे इस कार्यालय का पत्रांक-586/जि.रा., दिनांक-26.04.2012 के द्वारा आपको पेशित करते हुए मन्तव्य की मांग की गई थी। परंतु करीब एक साल तक कई अनुवर्ती स्मार-पत्र दिखे जाने के बाद भी अपेक्षित मन्तव्य अप्राप्त है। श्री रजक, राजस्व कर्मचारी द्वारा इंगित अवधि में कर्तव्य पर उपस्थित रहने के कई साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं, उसे भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि श्री रजक, राजस्व कर्मचारी के इंगित अनुपस्थित अवधि के संदर्भ में अपना स्पष्ट मन्तव्य एवं इसके सापेक्ष साक्ष्य पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,



अपर समाहर्ता,

किशनगंज।

शा.पं.क : 283

दिनांक 26/02/13

प्रतिलिपि - जिला IT प्रबंधक को मापदण्डानुसार उचित।

